IJAER/ September-October 2023 /Volume-12/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति

दीक्षा राय

शोध छात्रा , हिंदी विभाग

विश्व भारती शांतिनिकेतन , वेस्ट बंगाल

सार

१४ सितम्बर १९४९ को सविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनता द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। सवाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीa ओं को एक सूत्र में बांधे रखा। स्वतंत्रता के पश्चात भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा व राजभाषा का दर्जा दिया गया लेकिन भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए सरकार द्वारा सराहनीय कदम नहीं उठाए गए व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनवरत चलता रहा। भले ही आज हिंदी की वैश्विक स्थिति काफी बहेतर है विश्व के प्राय: सभी महतवपूर्ण देशों के विश्व विद्यालयों में हिंदी अध्ययन- अध्यापन हो रहा है। परन्तु विडंबना यह है कि विश्व में अपनी स्थिति के बावजूद हिंदी भाषा अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जी रही है। जहां गुड मॉर्निंग से सूर्योदय और गुड इवनिंग से सूर्यास्त होता है। अंग्रेजी बोलने वालों को तेज तरार, बुद्धिमान एवं हिंदी बोलने वलों को अनपढ़, गवार जताने की परम्परा रही है। राजनेताओं द्वारा हिंदी को लेकर राजनीती की जा रही है। जब भी हिंदी दिवस आता है, हिंदी को लेकर लम्बे लम्बे वक्तव्य देकर हिंदी पखवावड़े का आयोजन कर इतिश्री कर ली जाती है। हिंदी हमारी दोहरी नीति का शिकार हो चुकी है। यही कारण है कि हिंदी आज तक व्यावहारिक द्रष्टि से न तो राजभाषा बन पाई और ने ही राष्ट्र भाषा।

मूल शब्दः *राष्ट्रभाषा, राजभाषा, व्यावहारिक, उपेक्षित, अनवरत, बहुसंख्यक*

प्रस्तावना

हिंदी विश्व की लगभग ३००० भाषाओँ में से एक है और यूरोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी की आदि जननी अपभ्रंश भाषा है। हिंदी संस्कृत, पालि, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन / प्रारम्भिक हिंदी का रूप लती है । सामान्यत: हिंदी भाषा के इतिहास का आरम्भ अपभ्रंश से ही माना जाता है। १४ सितम्बर १९४९ को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया । संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। जागरण के मुम्बई ब्यूरो सम्पादक ओम प्रकाश तिवारी के अनुसार २०१५ में विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व सबसे अधिक हो चुकी है। और लगभग १३० करोड़ लोग विश्व १६० देशों में हिंदी बोल रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व भाषा के रूप में वैश्विक पटल पर उभरी है। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल की जनता भी हिंदी बोलती है। फिजी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

हिंदी में साहित्य सृजन की परम्परा काफी पुराणी रही है। संस्कृत भाषा के बाद हिंदी भाषाभाषा का काव्य साहित्य श्रेष्तम माना जाता है। उसमे लिखित उपन्यास और समालोचना भी विश्वस्तरीय है। उसकी शब्द सम्पदा विपुल है। उसके पास पच्चीस लाख से ज्यादा शब्दों की सेना है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि विषयक शब्दावली है। उसने अन्य भाषाओ के बहुप्रयुक्त शब्दों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया है और जो शब्द अप्रचलित अथवा बदलते जीवन संदर्भों से दूर हो गए है, उनका त्याग

भी कर दिया है। आज हिंदी में विश्व का महत्वपूर्ण साहित्य अनुसृजनात्मक लेखन के रूप में उपलब्ध है और उसके साहित्य का उत्तम अंश भी विश्व की दूसरी भाषाओ में अनुवाद के माध्यम से जा रहा है। हिंदी विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशो के विश्वविद्यालयों में अध्ययन अधयापन में भागीदार है। उदहारण के लिए अमेरिका, रुस, जापान, ब्रिटेन, मॉरिशस इत्यादि । अमेरिका में' विश्व', 'विज्ञानं प्रकाश', मॉरिशस में 'हिंदी समाचार', 'सौरभ', 'वसंत' आदि पत्रिकाएँ हिंदी को विकसित कर रही है। वर्तमान समय में हिंदी का कथा साहित्य भी फ्रेंच, रुसी तथा अंग्रेजी के समकक्ष है। आज हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में जितने रचनाकार सृजन कर रहे है, उतने बहुत सारी भाषाओ के बोलने वाले भी नहीं है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दोसौ से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय है।

जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विनिमय के क्षेत्र में हिंदी के अनुप्रयोग का सवाल है तो यह देखने में आया है कि हमारे देश के नेताओ ने समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर हिंदी में भाषण देकर उसकी उपयोगिता का उद्धघोष किया है। यदि अटल बिहारी वाजपयी तथा पी. वी. नरसिंघ राव द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया गया वक्तव्य स्मरणीय है। तो श्रीमति इंदिरा द्वारा राष्ट्र मंडल के देशों की बैठक तथा चंदरशेखर द्वारा दक्षेस शिखर सम्मेलन के अवसर पर हिंदी में दिए गए भाषण भी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत व अन्य देशों में दिए गए हिंदी भाषण भी सराहनीय है। जनसंचार माध्यमों, प्रिंट, दृश्य एवं श्रव्य की भूमिका हिंदी प्रचार- प्रसार में सदा महत्वपूर्ण रही है। प्रिंट मीडिया इतिहास काफी पुराना रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को आज़ाद करने की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण निभाते हुए हिंदी भाषा प्रचार-प्रसार में अहम योगदान दिया। यहां के लोक कवि एवं साहित्यकारों ने हिंदी भाषा में अपनी रचनायं जन-जन तक पहुंचा कर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हिंदी के विकास में देश के विभिन्न अंचलों से हजारों पत्र-पत्रिकाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राजस्थान पत्रिका, पंजाब केशरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हरिभूमि, सहारा डेली न्यूज़ जैसे अनेक समाचार- पत्र जहां लाखों पाठकों के घर-घर पहुंच रहे हैं वहीं एक्सप्रेस मीडिया, दैनिक समाचार पत्रों द्वारा पुरे देश में हिंदी संवाद को स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। हिंदी सिनेमा का भी हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

लेकिन विडंबना यह है कि आज विश्व में अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद हिंदी भाषा अपने ही घर में उपेक्षेत जिंदगी जी रही है। सात समुन्दर पर की भाषा अंग्रेजी के मोहजाल से हम अपने आप को अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। जहां गुड मॉर्निंग से सूर्योदय होता हो, इवनिंग से सूर्यास्त, किसे के पैर पर पैर पड़ जाये तो सॉरी, , गुस्सा आने पर नॉनसेन्स, गेट आउट, इडियट आदि -आदि की ध्वनि मुख से बार-बार निकलती हो। संसद में विचार व्यक्त करने के लिए आज भी धड़ल्ले से अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। अंग्रेजी बोलने वालों को तेज-तरार, बुद्धिमान समझने एंव हिंदी बोलने वालों को अनपढ़ ग्वार जानने की परम्परा हावी हो। अंग्रेजी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना शान-शौकत बन चुका हो तो कैसे कोई कह सकता है, यह वही देश है जिस देश की 90 प्रतिसत जनता हिंदी समझती है एवं बोलती है। जिस देश की राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी है।

हिंदी की आज यही वर्तमान दशा है, जहां हिंदी अपने ही लोनों से पग-पग पर उपेक्षित हो रही है। दोहरेपन की नीति के कारण आज तक स्वतंत्रता के 65 वर्ष उपरांत भी इस देश को सही मायने में एक भाषा नहीं दे पाये जिसमें पूरा देश बातचीत क्र सके। जिस भाषा को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा, उसे आज भी बड़े शोक से अपनी दिनचर्या में उतरे बैठे हैं। जब भी हिंदी दिवश आता है, हिंदी पखवाड़ा, सप्ताह आयोजन कर हिंदी पर लम्बे-लम्बे वक्तव्य देकर, प्रतियोगिता आयोजित कर कुछ लोगों को हिंदी के नाम पर सम्मान, इनाम देकर इतिश्री कर ली जाती है। हिंदी पखवाड़ा समाप्त होते ही हिंदी वर्ष भर के लिए विदा हो जाती है।

सरकारी कार्यालय हो या निजी निवास, प्राय: हर जगह दीवारों पर चमचमाते अंग्रेजी के सुनहरे पट दिखाई देते हैं। अंग्रेजी अख़बार का मंगाना फैशन सा हो गया है। इस तरह दोहरपन की स्थिति ने हिंदी के विकास को लचीलापन बनाकर रख दिया है। तुष्टिकरण की नीति से कभी भी हिंदी का विकास नहीं हो सकता। हिंदी हमारी दोहरी नीति का शिकार हो चुकी

है। यही कारण है कि हिंदी इस देश आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। दूसरी तरफ पूर्वी तथा दखिणी भारत में (गैर हिंदी भाषा) क्षेत्रों में समय-समय पर हिंदी को लेकर विवाद होता रहता है। चरमपंथियों को लगता है कि हिंदी के प्रचार से हिन्दुओं का प्रचार होगा। हिंदी को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिशें आजादी के बाद से ही हो रही है। रामधारी सिंह दिनकर ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान साथी सांसद फ्रेंक एंथोनी की इस बात का कड़ा प्रतिवाद किया था कि हिंदी हिंदुत्व की भाषा है । दिनकर जी ने हिंदी के बारे में सारी शंकाओं को दूर करते हुए कहा था कि "हिंदी संकीर्णता की नहीं, बल्कि उदारता की भाषा है। भारत जितना सहिष्णु देश है, हिंदी भी उतनी ही सहिष्णु और उदार भाषा रही है।" कुछ लोग हिंदी के नाम पर सियासत करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में डीएमके के नेता स्टालिन ने मोदी सरकार पर तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। दरअसल स्टालिन नेशनल हाइवे पर मील के पथरों पर हिंदी में शहरों के नाम लिखे जाने को लेकर खफा थे।

हिंदी हमारी राष्ट्रभषा है। अत: प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सम्मान करे । राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा होती है। जिसके माध्यम से पूरा देश संवाद करता है। भारतीयों को चाहिए कि वे दोहरी मानसिकता को छोड़कर पूरे गर्व के साथ हिंदी को अपने जीवन में अपनाने की शपथ मन से ले । तभी सही मायने में हिंदी का गौरव बना रहेगा। भारतेन्दु जी ठीक ही कहा है-

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल। "

उद्देश्य

1. भारत में राष्ट्रभाषा के ऐतिहासिक विकास एवं संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए
2. राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए

हिंदी की वर्तमान स्थिति

संघीय स्तर पर राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का वर्चस्व आज भी कायम है। अंग्रेज़ी आज दक्षिण भाषा-भाषियों के विरोध के कारण ही नहीं, बल्कि प्रशासकों एवं समाज के उच्च वर्ग के अपने निहित स्वार्थ के कारण, राजकाज के स्तर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर छाई हुई है। जब तक अंग्रेज़ी के साथ प्रतिष्ठा, सत्ता, नौकरी और पैसा जुड़ा रहेगा, तब तक लोगों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी न पढ़ाएँ, एक तथ्य को अनदेखा करना होगा।

गाँधी जी ने अंग्रेज़ी के इस मोह से पिंड छुड़ाना 'स्वराज' का अनिवार्य अंग माना था, किंतु देश की विडंबना है कि वह इस मोह से छूटने की बजाय दिन-प्रतिदिन उसमें जकड़ता जा रहा है। अंग्रेज़ी के 3 फीसदी लोग, हिंदी के 44 फीसदी लोगों पर हावी है। अतः न केवल राजनीतिक निर्णय के रूप में बल्कि आम जनता के भावात्मक एवं बौद्धिक विकास की दृष्टि से हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप पूरे देश में, सभी प्रादेशिक सरकारों द्वारा अंगीकार करना चाहिए.

प्रत्येक 14 सितंबर को सरकारी कार्यालय प्रायः हिंदी दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा या मास का आयोजन करते हैं किंतु जितनी निष्ठा से हिंदी को अपनाने पर बल देना होना चाहिए वह नहीं करते। राजभाषा के रूप में कभी हम अंग्रेज़ी के अनुवाद बहुत जटिल कर बैठते हैं, कभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करके भ्रम फैलाते हैं, कभी हिंदी के शब्द-कोश, टंकण, कंप्यूटर आदि खरीदने में शिथिलता बरतते हैं, कभी अंग्रेज़ी का जो ढर्रा चला आ रहा है उसे बदलने में संकोच या आलस करते हैं।

दरअसल हर सरकारी कर्मचारी यदि अपने राष्ट्रीय एवं भाषाई बोध से गर्वित होकर कष्ट उठाकर भी हिंदी को अपनाने का संकल्प कर ले तो राजभाषा के रूप में हिंदी का शत-प्रतिशत व्यवहार संभव हो सकता है । हम संकल्प लें और करें, अन्य

कोई उपाय नहीं है। यह जानते हुए भी कि हिंदी को भारत की पहचान के लिए जीवित रहना ही नहीं मुखर रहना भी आवश्यक है।

अपनी पहचान के लिए हमें हर हाल में, इस संबंध को समझना और जीना होगा। बिना इसके भारतीयता का कोई अर्थ नहीं रह जाताl हिंदी बहती नदी की धारा की तरह सब के लिए उपयोगी और कल्याणकारी रही है। यही कारण है गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के हिंदी उन्नायकों ने हिंदी को जन भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए इसके उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।

सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

राष्ट्रभाषा एवं उसकी महत्ता

आधुनिक राष्ट्र-राज्य में भाषा एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो उस राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में जोड़ता है। एक राष्ट्रभाषा एकता को बढ़ाती है, देशवासियों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान, को प्रोत्साहित करती है और समुचित आर्थिक विकास एवं सुचारू राज-व्यवस्थता के लिए भी जरूरी होती है। 19 वीं शताब्दी से राष्ट्रभाषा ने एक राजनैतिक विचारधारा का स्वरूप धारण कर लिया और संपूर्ण विश्व में राष्ट्रभाषा के आधार पर आधुनिक राष्ट्र-राज्यों का गठन होने लगा। यूरोप इसका एक उदाहरण है जहाँ 19वी शताब्दी में बड़े-बड़े मध्यकालीन साम्राज्य आँस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य कई आधुनिक राष्ट्रराज्यों में तब्दील हो गये और यह प्रक्रिया आज तक कई देशों में जारी है जहाँ एक से अधिक भाषायें बोली जाती हैं।

डा. अंबेडकर ने भी एक राष्ट्रभाषा की महत्ता को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा और कहा कि – "स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वतंत्र राज्य के बीच में एक सकरी सड़क ही होती है। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन उचित तो है किंतु यही भाषा उनको एक स्वतंत्र राज्य में विकसित करने में सक्षम है।"

संक्षेप में राष्ट्रभाषा के निम्नलिखित फायदे होते हैं:-

- यह देश को एक पहचान देती है।
- यह देश को एक सूत्र में पिरोने में मदद करती है।
- यह सुचारू राज-व्यवस्थता को चलाने में मदद करती है।
- राष्ट्रभाषा देशव्यापी विचारों के आदान-प्रदान में सहायक होती है।
- एक भाषा आर्थिक रूप से भी लाभकारी होती है क्योंकि इससे अंतर्देशीय व्यापार में सहायता होती है और विदेशी व्यापारियों को केवल एक ही भाषा सीखनी पड़ती है।
- एक राष्ट्रभाषा सामाजिक एवं राजनीतिक समरसता को बढ़ाती है।

किंतु राष्ट्रभाषा ही केवल राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी नहीं है और भारत इसका एक उदाहरण है।

राष्ट्रभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में

भारत एक राष्ट्र-राज्य नहीं अपितु राज्य-राष्ट्र है अर्थात् इसमें कई सारी राष्ट्रीयतायें मिलकर भारतीय राष्ट्रीयता का समन्वय करती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत विविध धर्मों, पंथों, भाषाओं, रीति-रिवाजों इत्यादि का अदभुद संगम है। भारत की एकता का कारण ऐतिहासिक, धार्मिक, आत्मिक समरूपता में है जहाँ उसने हर धर्म, पंथ, समुदाय को अपना कर अपनी संस्कृति में ढाल लिया और साथ में विभिन्न समुदायों, भाषाओं को पनपने व विकसित होने का अवसर भी दिया। भारतीय संस्कृति को कुछ शब्दों में व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं "वसुधैव कुटुम्बकम्"। भारत में जहाँ हर कोई भारतीय है तो वहीं गुजराती, तमिल, कन्नड़ इत्यादि भी हैं इसलिए स्वाधीनता के पश्चात्, जब 1956 में भाषीय राज्य गठित किये गये तो इस कदम ने भारतीयता को सुदृढ़ ही किया जैसा कि अब तक का अनुभव बताता है। इसलिए राष्ट्रभाषा का मुद्दा भारत राष्ट्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण किंतु जटिल मुद्दा है । भारत में कुल 22 भाषाओं को राजकीय दर्जा प्राप्त है जबकि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 1635 भाषायें हैं और जो 10,000 या अधिक जनसंख्या के समुदाय द्वारा बोलीं जातीं हैं। अधिकतर भाषाएँ दो भाषा – परिवारों से संबंधित हैं –

- भारतीय आर्य भाषा समूह – हिन्दी, उड़िया, गुजराती, मराठी इत्यादि।
- द्रविण भाषा समूह – कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि।

कुछ भाषायें जो उत्तर-पूर्व व केन्द्रीय भारत के कुछ कबीलों में बोलीं जातीं हैं, वे अन्य भाषा समूहों से संबंधित हैं। अतः राष्ट्रभाषा का दर्जा एवं उसका निष्पादन एक जटिल मुद्दा है जिसका स्वयं का एक इतिहास है। राष्ट्रभाषा के स्वरूप, उसकी चुनौतियों व संभावनाओं को समझने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है ।

भारत में राष्ट्रभाषा का ऐतिहासिक विकास एवं संवैधानिक स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् विभाजन की स्मृतियों, ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं भारत के इतिहास में कई सारे राज्यों के होने व उनमें परस्पर ईर्ष्या व संघर्ष की स्मृतियों के कारण भारत के संविधान निर्माताओं की मुख्य चिंता भारत की संप्रभुत्ता, एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रखना और उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। अतः राष्ट्रभाषा का होना जरूरी समझा गया और उसके लिये कई सारे विकल्पों को सुझाया गया। सबसे मजबूत पक्ष "हिन्दी" का था जो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। वहीं नेहरू जी व गांधी जी "हिन्दुस्तानी" को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे जो हिन्दी व उर्दू का अदभुद संगम थी व सामान्य बोलचाल की भाषा थी। वहीं कुछ लोग अंग्रेजी को, तो कुछ संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों व अन्य राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया जिसके कई राजनैतिक,सामाजिक एवं आर्थिक कारण थे। अन्ततः इसका अस्थायी समाधान यह निकाला गया कि "हिन्दी, अंग्रेजी" को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया एवं त्रिभाषीय शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की बात की गयी। राज्यों को अपनी मातृभाषा को राजकीय भाषा घोषित करने की स्वायत्तता दी गयी। भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार के बीच संचार के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी का उपयोग सुनिश्चित किया गया।

यह व्यवस्था 1952 – 65 के बीच अस्थायी रूप से संविधान में भी किंतु 1960 के दशक में दक्षिणी राज्यों में व्यापक एवं हिंसक हिन्दी विरोधी प्रदर्शनों के बाद इंदिरा गांधी ने इसे स्थायी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। फिर भी संविधान (धारा 351 के अनुसार) यह आदेश देता है कि हिन्दी की स्वीकार्यता का निरंतर प्रयास किया जाये और उसको सरल एवं हर क्षेत्र में उपयोग करने के लिए विकसित किया जाये ताकि वह समय आने पर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के स्वरूप में अपनाने के लिए जहाँ कई चुनौतियाँ हैं तो वहीं कई अच्छी संभावनायें भी हैं। जरूरत है कि हिन्दी की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाये इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं –

- कोई भी भाषा स्थिर नहीं रह सकती है। निरंतर प्रगति एवं विकास ही भाषा को स्वस्थ एवं जीवित रखती है और उसके लिये अन्य भाषाओं, संस्कृतियों से आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हिन्दी को अपने शब्दकोश को अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल आदि क्षेत्रीय भाषाओं की सहायता से विस्तारित करना चाहिये जैसे आक्सफोर्ड का शब्दकोश लोकप्रिय लोक शब्दों को अपनाता है चाहें वह किसी भी भाषा के क्यों न हों। इससे हिन्दी की कठिनता को कम करने व इसका प्रयोग नयें क्षेत्रों व भू-भागों में बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

- जहाँ हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी समान बढ़ावा देना चाहिए। यह एक चिंताजनक विषय है कि संविधान द्वारा अनुमोदित "त्रिभाषीय सूत्र" अधिकांश हिन्दी भाषीय राज्यों व अन्य राज्यों में ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अधिकाधिक हिन्दी भाषियों को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि कन्नड, गुजराती, तमिल आदि भाषाओं को सीखना चाहिए। इसके लिये शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार कर त्रिभाषीय सूत्र को कड़े रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

अंततः हमें यह समझना चाहिये कि राष्ट्रभाषा लोगों पर थोपने से नहीं हो सकती बल्कि एक जन-आंदोलन के रूप में स्वयं ही उत्पन्न होनी चाहिये। अगर हम हिन्दी को एक सरल, उपयोगी प्रगतिवादी, लोकप्रिय, लचीली एवं निरंतर अपने आपको एक नए कलेवर के रूप में गढ़ने वाली भाषा के रूप में ढाल सकें तो आशा है कि वह जल्द ही राष्ट्रभाषा के रूप में सभी को स्वीकार्य होगी।

संदर्भ

1. राष्ट्र भाषा पर विचार, आचार्य चंद्रबली पांडेय
2. राष्ट्रभाषा प्रचार का इतिहास, सं .गंगाशरण सिंह
3. राष्ट्रभाषा आंदोलन, गो .प. नेने
4. हिंदी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी।
5. भाषा-विवेच, डॉ. भागीरथ मिश्र
6. राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, रामधारी सिंह दिनकर
7. हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा की ओर, डॉ. सुरेश माहेश्वरी।
8. खारी, डी., शर्मा, वी., और अग्रवाल, एन., (2020)। वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर महामारी कोविड-19 का प्रभाव। कॉसमॉस जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 10(1): 9-15। आईएसएसएन: 2231-4210।
9. सिंह, जी., गुप्ता, आर. और अग्रवाल, एन., (2020)। इकोनॉमिक री-इंजीनियरिंग: कोविड-19। उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 11(4): 01-05।

10. अग्रवाल, निधि; गुप्ता, रुचिका और चंद्रा, गीतांजलि, (2020)। "दिल्ली-एनसीआर के भावी और कामकाजी माध्यमिक शिक्षकों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन, 24(5): 7363-7375।

11. चंद्रा, जी., गुप्ता, आर. और अग्रवाल, एन., (2020)। कोविड-19 महामारी में न्याय वितरण प्रणाली को बदलने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 11(3): 344-350।

12. अग्रवाल, निधि और वर्मा, मोनिका, (2019)। "नवाचारों के वर्गीकरण पर एक अध्ययन"। ग्लोबस एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी, 11(1); 57-64, आईएसएसएन: 0975-721एक्स, डीओआई:10.5281/ज़ेनोडो.3872090।

13. अग्रवाल, निधि. (2019)। "अभिनव सूचना संचार प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता के उपाय" कॉसमॉस जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 9(1): 5-8।

14. अग्रवाल, निधि और मंडल, टी., (2019)। "शिक्षक विशेषज्ञता और स्कूली प्रक्रियाओं पर एक अध्ययन"। ग्लोबस जर्नल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, 9(1); 7-9. doi:10.5281/ज़ेनोडो.3760855।

15. अग्रवाल, निधि और जयसवाल, सुषमा, (2019)। "स्कूल में शिक्षक की संगठनात्मक प्रतिबद्धता पर एक अध्ययन"। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 4(1); 39-41. डीओआई: 10.5281/ज़ेनोडो.3806468